Research Guru
Online Journal of Multidisciplinary Subjects (ISSN : 2349-266X)
Volume-13, Issue-1, June 2019
Impact Factor: 4.081
www.researchguru.net

न्यूनतम आय योजनाः आर्थिक विमर्श के केन्द्र में अंतिम आदमी

अर्चना मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थ शास्त्र) एस एस डी पी सी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुड़की, उत्तराखंड,

ईमेल:archananks1@gmail.com

शोधसार :

भारत में विश्व के एक तिहाई अति गरीब निवास करते हैं।स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रति व्यक्ति आय 247 रू, साक्षरता दर 17% तथा औसत आयु 32 वर्ष थी।ये सभी संकेतक व्यापक एवं भीषण गरीबी की ओर इशारा करते हैं।इसके साथ ही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था और कृषि क्षेत्र के बाहर रोजगार के अवसर अत्यन्त सीमित थे।स्वतंत्रता के बाद के सात दशकों के विकास के फल स्वरूप स्थिति में परिवर्तन आया है किन्तु आज भी विभिन्न अनुमानों के अनुसार देश की 20 से 25 प्रतिशत आबादी भीषण गरीबी में जीवन निर्वाह कर रही है।वर्तमान में अनुमानतः 25 करोड़ लोग आय का कोई नियमित स्त्रोत न होने के कारण पर्याप्त व पोषक भोजन, वस्त्र एवं निवास आदि मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं।विकास यात्रा के इस बिंदु पर देश के नेतृत्व के समक्ष यक्ष प्रश्न है कि इस वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए पारंपरिक विकास योजनाओं पर ही भरोसा करना पर्याप्त है अथवा वर्तमान व्यवस्थाओं के साथ इस वर्ग के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रणाली भी आवश्यक है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के' गरीबी हटाओ 'अभियान के बाद गरीबी और सामाजिक न्याय के संयुक्त उद्देश्यों तथा राजनीतिक बाध्यताओं के कारण हाल ही में आई 'प्रधानमंत्री किसान योजना 'के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सम्मान निधि तथा प्रस्तावित 'न्याय 'जैसी योजनाओं के साथ आज पुनःएक बार 'अंत्योदय' और 'सर्वोदय' की विचार धारा के प्रबल समर्थक महात्मा गांधी का'कतार में खड़ा अंतिम आदमी' आर्थिक विमर्श के केन्द्र में है।इस के मूल में कहीं न कहीं विगत कई वर्षों से गरीबी की समस्या के समाधान हेतु विश्व में चर्चा का केन्द्र रहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार है।

संकेतक शब्द- बेसिक, इनकम, गरीबी, सामाजिक न्याय, विकास

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) : अवधारणा एवं वैश्विक संदर्भ :

समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहज मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन का अधिकार है।इसके लिए प्रत्येक नागरिक को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक नियमित, निश्चित आय प्रदान करने का विचार गत कई वर्षों से दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों के बीच चर्चा का विषय रहा है।इसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सिटीजंस इनकम (यू. के.), बेसिक इनकम गारंटी (यू. एस.) अथवा फ्री मनी आदिनामों से जाना जाता है।यू.बी. आई. के केन्द्र में गरीबी और रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं।यह एक नियमित अंतराल पर देश के नागरिकों को दिया जाने वाला मौद्रिक भुगतान है जिसके साथ देश का वैध नागरिक होने के अतिरिक्त कोई शर्त नहीं जुड़ी होती है।

अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता को यू. बी. आई. की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि उनके साथ कोई न कोई शर्त जुड़ी होती है।उदाहरणार्थ ब्राजील में गरीब परिवारों को दी जाने वाली सहायता Bolsa Familia को बेसिक इनकम नहीं कह सकते क्योंकि इस के साथ बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजने की शर्त जुड़ी होती है।विश्व के अलग अलग देशों में यू. बी.आई. पर मंथन जारी है।स्विट्जरलैंड में जुलाई 2016 में यू. बी. आई. को संवैधानिक प्रावधान बनाने का प्रस्ताव नागरिकों द्वारा 76.9% के बहुमत से नकार दिया गया था।2017 में फिनलैंड में यू. बी. आई. के दो साल के पायलट प्रोजेक्ट में 25 से 58 आयु वर्ग के बेरोजगार नागरिकों को 560 यूरो प्रति माह की सहायता दी गई।केन्या में 200 गांवों में भी इसी तरह का प्रयोग चल रहा है।

भारत में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का विचार :

वर्ष 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण में उस समय के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने यू. बी. आई. के विचार की विस्तृत रुपरेखा प्रस्तुत की थी।आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 में एक पूरा अध्याय यू. बी. आई. को समर्पित था।उनके अनुसार भारत जैसे देश में जहां व्यापक आर्थिक असमानताओं के साथ गरीबी और बेरोजगारी भी चरम पर हैं, यू. बी. आई. सैद्धांतिक रूप से एक अच्छा विचार है। यू. बी. आई. के रूप में वंचितों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए प्रदान की गई सहायता सामाजिक न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के साथ ही अतिरिक्त मांग सृजन के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को भी गति प्रदान कर सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2016 –17 में यह भी कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा संचालित 950 जन कल्याणकारी योजनाओं पर जी. डी. पी. का 5% हिस्सा व्यय होता है, इसके बावजूद अनेक व्यवस्थागत कमियों के चलते गरीबों को इस का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।अभी तक अपने मूल रूप में यू. बी. आई. भारत के किसी राज्य में लागू नहीं हुआ है।सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन चामलिंग द्वारा सत्ता में पुनः आने पर अगले 3 वर्षों में यू. बी. आई. लागू करने की घोषणा अवश्य की गयी है।

इसके अतिरिक्त इंदौर(मध्यप्रदेश) में सेल्फ इम्पलायड वीमेंस एसोसिएशन (सेवा) ने आठ गावों में यू. बी. आई. संबंधित पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया था। 2019 के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 'कृषक सम्मान निधि' के रूप में सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपये (2000 की तीन समान किस्तों में) देने की योजना का आरम्भ किया गया है।इसकी पहली किस्त लाभार्थियों के खातों में डाली जा चुकी है।योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रति वर्ष 75000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता होगी।भारत में लागू उपरोक्त प्रस्तावों को सही अर्थों में यू. बी. आई. नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका लाभ चुनिंदा परिवारों को ही दिये जाने से इन योजनाओं में सार्वभौमिकता के तत्व का विलोपन हो जायेगा।

यू. बी. आई. की अवधारणा के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क :

यू. बी. आई. के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति का है।इसके समर्थकों के अनुसार -

- गरीबी और भुखमरी के विरूद्ध संघर्ष में यू. बी. आई. कारगर सिध्द होगी।
- भ्रष्टाचार और व्यवस्थागत कमियों के चलते हुए रिसावों के कारण जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ लक्षित समूहों को नहीं मिल पाता अतःप्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता एक बेहतर विकल्प होगी।
- वंचित समूहों के हाथ में क्रय शक्ति आने से सृजित मांग, निवेश व उत्पादन वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी।

दूसरी ओर यू. बी. आई. के आलोचकों का तर्क है कि -

- बिना मेहनत किये प्राप्त आय लोगों में कार्य करने की इच्छा खत्म करेगी।
- आसानी से उपलब्ध राशि मूल भूत आवश्यकताओं के बजाय व्यसनों पर खर्च होगी तथा इसका नकारात्मक प्रभाव जी. डी. पी. में गिरावट के रूप में सामने आ सकता है।

न्यूनतम आय योजना (न्याय) :

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना(न्याय) के अनुसार सत्ता में आने पर कांग्रेस देश के सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों के लिए सालाना 72000 रूपये न्यूनतम आय की व्यवस्था करेगी।इसके अन्तर्गत प्रत्येक चयनित परिवार को 6000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे।इस योजना से 5 करोड़ परिवारों के लगभग 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी रोडमैप के अनुसार 'न्याय' दो चरणों में लागू की जाएगी।प्रत्येक चरण में ढाई करोड़ परिवारों को सहायता दी जाएगी।'न्याय' का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर गरीब परिवार की आय कम से कम 12000 रूपये हो।यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं है कि चुने गए हर परिवार के खाते में सीधे 6000 रुपये प्रति माह डाले जायेंगे या परिवार की आय 12000 रूपये से जितनी कम होगी उतनी राशि की ही भरपाई की जायेगी।

सीमांत किसानों को सहायता देने के उद्देश्य से पूर्व में घोषित योजना के 72000 करोड़ की तुलना में 'न्याय' योजना को लगभग पांच गुना अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।अनुमानित राशि लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है जो कि जी. डी. पी. का लगभग 1.8% है।

संसाधनों की व्यवस्था एवं क्रियान्वयन :

भारत जैसे देश में व्यापक गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए 'न्याय' की उपादेयता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।लेकिन' न्याय 'जैसी महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों और वित्त पोषण के संबंध में दो प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है -

प्रथम - प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना को लागू करने के लिए संसाधन कहां से आयेंगे ?

द्वितीय - लाभार्थियों के चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी ?

जहां तक लाभार्थियों की पहचान का प्रश्न है, यह कार्य आसान नहीं है।सबसे गरीब 20 प्रतिशत परिवारों का चयन करने में अनेक व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक परेशानियां आयेंगी।भारत में आय के सर्वे की नियमित व विश्वसनीय व्यवस्था का अभाव है।सुरेश तेंदुलकर समिति की वर्ष 2011–12 में जारी गरीबी संबंधी रिपोर्ट के तथ्यों पर विवाद के उपरांत सी. रंगराजन के नेतृत्व में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दी।लेकिन आधिकारिक रूप से अभी भी वर्ष 2011–12 में जारी गरीबी संबंधी रिपोर्ट का ही प्रयोग गरीबी के प्रचलित आकलन के लिए हो रहा है।आज अधिकांश ग्रामीण विकास कार्यक्रम और कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित वित्तीय हस्तांतरण गरीबी के पुराने अनुमानों के आधार पर ही चल रहे हैं।वर्तमान में बेरोजगारी \रोजगार की गणना हेतु जहाँ लेबर ब्यूरो सर्वे तथा सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा आधार उपलब्ध है वहीं गरीबी और आर्थिक असमानता के आकलन के लिए व्यय सर्वे ही एक मात्र उपलब्ध विकल्प है।

आय के आकलन से संबंधित समुचित आंकड़ों के अभाव में सरकारी कार्यालयों से आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया भ्रष्टाचार को तो जन्म देगी ही, साथ ही अनेक अति गरीब परिवार जो सुदूर इलाकों में बैंकिग व्यवस्था की पहुँच से दूर रहते हैं, उनके छूट जाने की पूरी संभावना है।

योजना के वित्त पोषण के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था के लिए दो ही विकल्प हैं।या तो मौजूदा व्यय में कटौती की जाय अथवा आय के साधन बढाये जायें।

व्यय में कमी - शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक व्यय अथवा बुनियादी ढांचे में होने वाले निवेश में कटौती अर्थव्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण सिद्ध होगी।वस्तुतः खाद, खाद्य पदार्थ और उर्जा उत्पादों से संबंधित सब्सिडी की कटौती पर विचार किया जा सकता है लेकिन अर्थशास्त्रियों के अनुसार इनमें कटौती से गरीबों को मिलने वाला वास्तविक मौद्रिक लाभ इन वस्तुओं को ऊंचे बाजार मूल्य पर खरीदने से अप्रभावी हो जायेगा।साथ ही यह भी संदेह है कि विभिन्न सब्सिडी से जुड़े राजनीतिक लाभ को देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल इसे स्वीकृति देगा।

संसाधनों में वृद्धि - अधिक उधार लेकर वित्त पोषण का विकल्प वित्तीय घाटा बढ़ायेगा जिसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न मुद्रा स्फीति न सिर्फ व्यवसायियों तथा सामान्य नागरिकों को प्रभावित करेगी बल्कि अधिक ब्याज भुगतान सरकारी व्यय पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।ऊंचा मूल्य स्तर तथा रुपए के मूल्य में गिरावट विदेशी मुद्रा प्राप्तियों को भी प्रभावित करेगा इस के साथ ही इन कदमों से सरकार द्वारा वित्तीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन के प्रावधान के तहत सार्वजनिक ऋण को जी. डी. पी. के 70% से 60% तक घटाने का नवनिर्धारित लक्ष्य पूरा करना भी असंभव हो जायेगा।

अंतिम विकल्प कर दरों में वृद्धि का है लेकिन इतिहास पर्याप्त प्रमाण देता है कि बढी हुई कर दरें काले धन की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती हैं।प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के समय में 97.75% तक बढाये गये आय कर से रेवेन्यू में कोई उल्लेख नीय वृद्धि नहीं हुई जबकि इसके विपरीत 1990 के दशक में श्री मनमोहन सिंह एवं श्री चिदम्बरम द्वारा अधिकतम दरें 50% से 30% तक लाये जाने पर आयकरः जी. डी. पी. अनुपात में पर्याप्त सुधार और कर संग्रहण में वृद्धि देखी गई।

जी. एस. टी. में बड़ी वृद्धि भी घाटे की अर्थव्यवस्था जैसा ही स्फीतिकारक प्रभाव पैदा करेगी।इस संबंध में आटो–फ्यूल दरें पहले से ही ऊंची हैं।तथा कार्पोरेट टैक्स दरों में वृद्धि का निहितार्थ सरकार द्वारा बड़ी कम्पनियों की वर्तमान दर 34.5% (कर् +सेस /सरचार्ज) से 25% तक लाये जाने के घोषित लक्ष्य से स्पष्ट विचलन होगा।RegionalComprehensiveEconomic Partnership(RCEP)के तहत मुक्त व्यापार क्षेत्र में नीची कार्पोरेट कर दर वाले एशियाई देशों के साथ स्पर्धा में रहने के लिए (चीन में कार्पोरेट कर दर 15–25%) कार्पोरेट कर दरों का भी प्रतिस्पर्धात्मक रहना आवश्यक है।

प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना की व्यवहार्यता के संबंध में कुछ प्रमुख अर्थ शास्त्रियों के मत भी विचारणीय हैं -

प्रणववर्धन (यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया) के अनुसार भारत में समुचित इनकम डाटा आधार न होने के कारण लाभार्थियों की पहचान कठिन होगी और आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

आर. रामकुमार (टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज) ने योजना की क्षेत्रीय उपादेयता का संज्ञान लेते हुए कहा है कि इस प्रकार की न्यूनतम आय योजना झारखंड के निवासी के लिए अधिक उपयोगी हो सकती है बनिस्बत एक केरलवासी के क्योंकि केरल में दैनिक मजदूरी पहले से ही उच्च स्तर पर (लगभग 1000 रुपये) है।सही डाटा आधार के लिए व्यापक आय सर्वेक्षण करने में कम से कम 3 – 4 वर्ष का समय लगेगा अतः तुरंत योजना को पूर्ण रूपेण लागू करने से वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

अमिय कुमार बागची (सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग, नई दिल्ली) का कहना है कि न्याय योजना लागू करने में अस्थाई निवास वाले प्रवासी मजदूरों को लाभार्थी सूची में शामिल करने में कठिनाई आ सकती है।

जयति घोष (जे. एन. यू.) का भी कहना है किस ही इनकम डाटा का अभाव और विकल्प रुप में उपलब्ध SECC सर्वे (2011) का डाटा भी पुराना हो चुका है। अतः योजना को सही रुप में लागू करने के लिए सर्व प्रथम नया इनकम डाटा सर्वे पहली आवश्यकता है।

अभिजीत बैनर्जी (एम. आइ. टी.) के अनुसार 'न्याय' को लागू करने के लिए टैक्स वृद्धि के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है।

निष्कर्ष :

भारत में अधिकांशतः विकास 'ट्रिकल डाउन थ्योरी' की अवधारणा पर आधारित रहा अर्थात समाज के ऊपरी वर्ग को निवेश संबंधी सहायता वातावरण देने से होने वाली प्रगति के लाभ स्वतः अधिक रोजगार सृजन व बढ़ी हुई आय के रूप में निचले स्तर तक पहुंचेंगे।लेकिन आजादी के बाद के सात दशकों का अनुभव बताता है कि यहां विकास दर बढ़ने के साथ साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ी है जिसके कारण ऊपरी वर्ग तो अधिक समृद्ध हुए हैं किन्तु अति गरीब आज भी आर्थिक प्रक्रिया के हाशिये पर हैं।अतः समावेशी विकास हेतु दीर्घ कालीन और अधिक प्रभावी गरीब केन्द्रित नीतियां बनाना आवश्यक है।अल्पकाल में कुछ समयावधि के लिए वंचित तबकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से न्यूनतम आय का विचार क्रियान्वित किया जा सकता है।इसके लिए सर्वप्रथम प्रस्तावित योजना के सम्यक वित्त पोषण व लाभार्थियों के सही चयन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं बनानी होंगी।वंचिततबकों को नवीन रुपमें सहायता प्रदान करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि अन्य कल्याण कारी योजनाओं में से उपयोगी योजनाओं से भी सहायता देना जारी रहे। साथ ही वित्तीय संसाधन जुटाने की प्रक्रिया का भार भी देश के मध्यम वर्ग पर न पड़े। अंत में यह भी ध्यान रखना होगा कि 'न्याय' अथवा इस तरह की कोई भी योजना गरीबी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। निश्चित आय प्रदान करना तो गरीबी की समस्या का मात्र एक आयाम है। वास्तविक और स्थाई समाधान पर्याप्त मात्रा में उत्पादक रोजगारों के सृजन से ही प्राप्त होगा।

संदर्भ–स्त्रोत :

- Universal Basic Income : A Conversation With and Within the Mahatma. Economic Survey 2016-17, Government of India, Ministry of Finance, Deptt. Of Economic Affairs, Economic Division, January – 2017. Pages 112-184
- पांडेय, राधिका– अधिकतम वोट के लिए न्यूनतम आय की गारंटी, दैनिक भास्कर, 26 मार्च2019, पृष्ठ– 1
- यादव, योगेंद्र– राहुल की आय योजना पर पूछे जायें सही सवाल, दैनिक भास्कर, 27 मार्च 2019, पृष्ठ– 8
- navbharattimes.indiatimes.com, Congress Manifesto Lok Sabha Chunav 2019, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, न्यूनतम आय योजना समेत किये 5 बड़े वादे
- economictimes.com, Raghuram Rajanon NYAY : Needed for Economic Inclusion. 27 March, 2019
- www.financialexpress.com Rahul Gandhi's NYAY recognises the right of the poorest on country's resources.
- economictimes. indiatimes.com view: NYAY would be the next big disrupter of entrenched poverty
- https://naidunia jagran.com Specialists Said, NYAY is not possible without additional resources.
- https://www.livemint.com>opinion India should not abandon its welfare measures for NYAY.
- www.businesstoday.in Rajeev Dubey, March 19, 2019 MIT Professor suggested minimum income plan to Congress but not….
- imf. org, UBI in Developing Countries : Issues, Options and Illustrations for India, Working paper no. 18/174- Author /Editor : David Coody : Delphine Prady, July 31, 2018
- en.m. wikipedia. org, Universal Basic Income.
- https://thewire.in/economy/e> Expert Gyan : What The Congress's Minimum Income Scheme Can and Can't Do for India